सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 21, सोमवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 12, 2022 *Agrahayana 21 Monday , Saka 1944- December 12, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-।।

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 09, 2022

जी.एस.आर.112 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) (संशोधन) नियम,2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975 से संलग्न अनुसूची-I में क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 3 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

क.	12.50 % सीधी भर्ती द्वारा, वाणिज्यिक कर विभाग के लिपिकवर्गीय स्टाफ में से प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से; और
ख.	87.50 % पदोन्नति द्वारा।

"

[सं. एफ. 2(2)डीओपी/ए-II/78]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.II)
NOTIFICATION
Jaipur, December 09, 2022

G.S.R.112 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Commercial Taxes Subordinate Service (General Branch) Rules, 1975, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Commercial Taxes Subordinate Service (General Branch) (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the Rajasthan Commercial Taxes Subordinate Service (General Branch) Rules, 1975, the existing entries in column 3 against serial number 1 shall be substituted by the following, namely:-

"

a. 12.50% by direct recruitment from amongst the ministerial staff of the Commercial Taxes Department through competitive examination; and b. 87.50% by promotion.

"

[No.F.2(2) DOP/A-II/78]
By Order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.